पत्रांक......84.../

कार्यालय अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, रॉची।

0457
03/03/2014

प्रेषक,

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, रॉची।

सेवा में,

विशेष पदाधिकारी,
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर।

रॉची, दिनांक– 28-02-14

प्रसंग :– आपका पत्रांक–3207 दिनांक–03.01.14

बिषय :– श्री काशीनाथ अग्रवाल (प्राधिकार प्राप्त–सह–स्वामी अंश भाग) द्वारा हो0सं0–174 काशीडीह (डिही बारी) क्षेत्र, साकची, जमशेदपुर में आवासीय भवन निर्माण में अग्नि सुरक्षा संबंधी सलाह के संबंध में।

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार निर्मित होनेवाले प्रस्तावित भवन के लिये अग्नि सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :–

1. प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।
2. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 60,000 ली0 का एक अण्डर ग्राउड स्टेटिक वाटर टैंक का निर्माण निर्दिष्ट स्थान पर कराया जाय।
3. प्रस्तावित भवन के दोनों ब्लॉक के उपर 20000 ली0 क्षमता का एक–एक अदद ओभर हेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. 1650 ली0/मि0 का एक शक्तिशाली पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जो पूरे सिस्टम में जलापूर्ति कर सके।
5. प्रस्तावित भवन के दोनों ब्लॉक के उपर 450 ली0 प्रति मि0 क्षमता वाला एक–एक अदद टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
6. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्पिंग व्यवस्था रखी जाय।
7. सीढ़ीयों को Enclosed staircase के रूप में निर्मित किये जायें।
8. प्रस्तावित भवन में एक–एक अदद फायर लिफ्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसकी क्षमता 540 के0जी0 से कम न हो।
9. प्रस्तावित भवन की Wiring व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही करायें जाय।
10. N.B.C के नियम के अनुसार भवन के सामने वाले भाग में चौड़ी ठोस एवं खुली जगह हमेशा उपलब्ध रखी जाय।
11. भवन में प्रति 400 वर्ग फीट के लिए एक की दर से एक–एक अदद DCP Extinguisher 10Kg. रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में बाधित न किया जाय।
13. भवन में तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
14. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान (Hard and Soft copy) में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेगें।
15. अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जॉच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेगें।
16. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।
17. प्लान की प्रतियॉ सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

28.2.14

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, रॉची।